

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 27 नवम्बर, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-14994/श्री (डॉ0) दीपक प्रसाद, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग(अतिरिक्त प्रभार-परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी/सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना) को अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-14995/श्री मनीष कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (ओ0 आर0 : 2000), मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, योजना एवं विकास विभाग/परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी/सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



27.11.17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-14995/पटना-15, दिनांक: 27नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री (डॉ0) दीपक प्रसाद, भा0प्र0से0 (89) द्वारा परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पद को धारण किये जाने की तिथि से भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-9(अनुसूची-II) के तहत उन्हें पदस्थापनकाल तक के लिए प्रधान सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।


27.11.17
सरकार के अवर सचिव।